बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि ७ फरवरी, १९५१

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ७ फरवरी, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers

माननीय अध्यक्ष—बड़े दुख की बात है कि माननीय सदस्य प्रश्न तो दे देते हैं पर प्रश्न पूछने की तिथि पर उपस्थित नहीं रहते हैं।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—क्या दूसरे मेम्बर नहीं पूछ सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष—मेरी अनुमति से दूसरे सदस्य पूछ सकते हैं लेकिन जो सदस्य किसी प्रश्न की सूचना देते हैं, वही उस प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं। दूसरे लोग जिस तरह बाहर से आदमी देखता है उसी तरह देखेंगे। सभा के समय का पूरा उपयोग प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

Starred Questions Answers

आलू के विकास के लिए इन्क्वायरी कमिटी।

†A*४९। श्री जीतू राम—क्या माननीय मंत्री, वित्त विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि एक सबसे प्रमुख बीज-आलू के व्यवसायी के यहां इस विभाग को इन्क्वायरी करके रिपोर्ट देने वाले रेडियो सुना करते हैं, और गुलछर्रे उड़ाया करते हैं और सिर्फ उन्हीं के निर्देशन के अनुकूल उनके विरोधियों के विरुद्ध ही झूठी-झूठी रिपोर्ट दी जाती है, जिससे उच्च ऑफिसर धोखे में रखे जाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि अन्य वस्तुओं के व्यापारी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और उनका व्यापार नष्ट हो रहा है और बीज-आलू के व्यवसाय से प्राप्त सेल्स टैक्स का कुछ ही अंश सरकार को देकर बाकी मिल-जुल कर उड़ा लिया जाता है।

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है, तो इस धांधली को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है, जिससे सरकार को उचित टैक्स भी प्राप्त हो जाय और झूठी रिपोर्ट के बल पर जो सताये जा रहे हैं उन्हें राहत भी मिल सके?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) बिहार सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सैयद लतीफुर रहमान—सरकार ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—उसके बाद ही तो कहा गया है।

SALE OF CEMENT BY THE SONE VALLEY CEMENT FACTORY.

†173. **Shri RAJKISHORE SINGH**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Supply and Price Control Department be pleased to state—

(a) whether the Sone Valley Cement Factory has been permitted to sell cement at its gate;

†माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र के निवेदन पर उत्तर दिया गया।

नोट:—प्रश्न संख्या ५२ तथा ५३ स्थगित किए गये।

A.—Postponed from the 18th January 1951.

मुजफ्फरपुर और दरभंगा में धान वसूली।

*१८०। श्री राम गुलाम चौधरी--क्या माननीय मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(क) गत धान वसूली की सूचना राज्य में कब दी गई;

(ख) मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में कितनी धान वसूली हुई और दूसरे जिलों से कितना;

(ग) सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों को कितना अन्न मिला, क्या इसका कोई रजिस्टर भी है;

(घ) मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में जो सरकार की तरफ से बना हुआ लाहोरी शेड है और जिसमें हजारों टन गल्ला रक्खा जाता है उसे देखभाल कौन करता है, गल्लों का वजन कौन करता है, वजन में यदि कभी कमी हुई तो क्या वह रजिस्टर में भी लिखा जाता है, या नहीं, जिसके अधिकार में गोदाम रहता है उससे कोई एग्रीमेंट लिया जाता है या नहीं;

(ङ) क्या सरकार स्टौकिस्ट बहाल करती है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह--(क) १९४७ की "विहार लेवी आज्ञा", ता० २ दिसम्बर, १९४७ से सारे राज्य में जारी की गई थी। बाद में इस आज्ञा के अन्तर्गत कारंवाई २९ मई, १९४८ से एक सरकारी आज्ञापत्र द्वारा स्थगित कर दी गई। जब राज्य की खाद्य स्थिति असंतोषजनक होने लगी तो इस आज्ञा के अन्तर्गत फिर से कारंवाई जारी करने के लिए आदेश दिए गए। इन आदेशों द्वारा पुर्णियां और सहरसा जिला तथा भागलपुर के सदर सबडिवीजन में १८ जुलाई, १९५० से पलामू जिला तथा मुंगेर जिला के बेगूसराय तथा खगड़िया सबडिवीजनों में ८ अगस्त, १९५० से और मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी सबडिवीजन में १७ अगस्त, १९५० से तथा राज्य के अन्य बाकी हिस्सों में ६ सितम्बर, १९५० से इस आज्ञा के अन्तर्गत पुनः कारंवाई जारी की गई।

(ख) गत धान वसूली के अनुसार धान की वसूली ता० ६ सितम्बर, १९५० से १५ दिसम्बर, १९५० तक मुजफ्फरपुर जिला में ३२१ टन, दरभंगा जिला में ७१० टन तथा अन्य जिलों में ६,८८० टन हुई।

(ग) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अन्न के कोटा में से १९५० में मुजफ्फरपुर जिला को ४,८४० टन तथा दरभंगा जिला को ४,८८० टन अन्न दिया गया। इसका हिसाब रखा जाता है।

(घ) मुजफ्फरपुर वाले लाहोर शेड में रखे गए अनाजों की देख-भाल एक स्टौकिस्ट करते हैं जिन्हें शेड किराए पर दिया गया है। उक्त स्टौकिस्ट के काम की देख-भाल गोदाम मैनेजर करते हैं। दरभंगा वाले लाहोर शेड में संचित गल्लों की देख-भाल पूर्ति विभाग के गोदाम मैनेजर द्वारा, जो सरकारी कर्मचारी हैं, होती है। गोदाम भवन की मरम्मत इत्यादि की देख-भाल जन निर्माण विभाग द्वारा होती है। गल्लों का

वजन रेलवे स्टेशन पर उतरने पर सरकारी डिलिवरी इन्सपेक्टर करते हैं। तत्पश्चात् गोदाम में पहुंचने पर उसका वजन पुनः गोदाम मैनेजर अथवा स्टौकिस्ट करते हैं। तौल की कमी तुरंत रजिस्टर में दर्ज की जाती है। निकासी के समय भी वजन गोदाम मैनेजर या स्टौकिस्ट द्वारा होता है। जिलाधीश द्वारा भेजे गये किसी गजटेड अफसर की उपस्थिति में वजन लेकर त्रैमासिक भौतिक निरीक्षण (फीजिकल वेरिफिकेशन) भी होता है। घटती या बढ़ती यदि पायी गयी तो वह दर्ज कर ली जाती है। स्टौकिस्ट लोगों से एग्रीमेंट लिखाया जाता है किन्तु गोदाम मैनेजर को जो कि सरकारी अमला है उस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं लिखना पड़ता है लेकिन नगदी जमानत देना पड़ता है।

(ङ) जिलाधीश स्टौकिस्ट बहाल करते हैं परन्तु सरकारी अनुमति ली जाती है।

श्री रामगुलाम चौधरी—क्या सरकार मुजफ्फरपुर के स्टौकिस्ट का नाम बतायेगी?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—मुझ से ज्यादा आपको मालूम है।

श्री रामगुलाम चौधरी—गोदाम में कितना अनाज रखा जाता है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—मुझे नहीं मालूम है।

श्री रामगुलाम चौधरी—जो गल्ला गोदाम में स्टौकिस्ट रखता है वह सिर्फ शहर में ही रखता है या देहात में भी, क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—नहीं।

श्री रामगुलाम चौधरी—क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—इन सारी बातों की जानकारी के लिये एक स्वतंत्र प्रश्न बना कर पूछिये तो जवाब मिल जायगा।

श्री राम गुलाम चौधरी—स्टौकिस्ट के पास जो गल्ले की घटती होती है उसका परिमाण महीने में कितना होता है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—समय-समय पर उसकी जांच होती है लेकिन महीने में कितनी घटती हुई है इस तरह की जांच नहीं हुई है।

श्री रामगुलाम चौधरी—गत वर्ष मुजफ्फरपुर में कितने गल्ले की गड़बड़ी हुई थी?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—यह प्रश्न कैसे उठता है।

श्री मुहम्मद ताहीर—पहले ३० मन लेवी ऑर्डर में था उसके बाद २० मन हुआ और फिर बाद में उसको २०० मन कर दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह धान वसूली किस ऑर्डर के मुताबिक हुई है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—पहले के ऑर्डर को अमेंड करके २०० मन कर दिया गया है और उसी के अनुसार काम हो रहा है।

श्री मुहम्मद ताहीर—जितने केसेज ९ सितम्बर के ऑर्डर के मुताबिक हुए हैं, उनको क्या सरकार ने विथड्रा करने का ऑर्डर दिया है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—एकजिस्टिंग टर्म के मुताबिक जिन्होंने ऑफेन्स किया था वह तो उनके खिलाफ ऑफेन्स रहेगा ही। लेकिन सरकार ने एक सर्कुलर के

जरिये हरेक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को हिदायत कर दी है कि वे जहां तक हो सके टैक्निकल केसेज को विथड्रा कर सकते हैं।

लोहा और सिमेंट डीलरों द्वारा माल आने पर सप्लाई डिपार्टमेंट को सूचना देना।

*१८१। श्री राम गुलाम चौधरी—क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) लोहा और सिमेंट के डीलर लोग माल आने पर सप्लाई डिपार्टमेंट को सूचना देते हैं, या नहीं, क्या कोई रिपोर्ट है कि १९५० में कितना टन लोहा और सिमेंट उन डीलरों को मिला;

(ख) पब्लिक की जो दरखास्तें सप्लाई डिपार्टमेंट में आती हैं, क्या उनका कोई सीरियल नम्बर रहता है?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है। सन् १९५० में प्रत्येक जिले के सिमेंट डीलरों को प्राप्त सिमेंट का ब्योरा परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित है जिसकी एक प्रति लाइब्रेरी की मेज पर रखी है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

मछली निर्यात पर प्रतिबंध।

*१८४। श्री शिवनन्दन राम—क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार से बाहर मछली निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर 'हां' में है तो प्रतिबंध लगाने पर मछली सस्ती हुई है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) प्रतिबंध लगाने पर मछली सस्ती हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी सस्ती होनी चाहिये। कारण यह है कि मछुओं ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों जगहों में मछली पकड़ना कम कर दिया है क्योंकि बिहार के अन्दर मछली भेजने में बहुत कम नफा होता है और वे भेज-भिजाव की असुविधाओं के कारण बिहार के भीतर ताजी मछली भेजने में असमर्थ हैं और इस प्रान्त के अन्दर सड़ी मछली का बाजार नहीं है।

नोट:—प्रश्न संख्या १८२ और १८३ स्थगित किया गया।